

DR
17/03/1919

Office of D.G. (Telecom)
Reg. No. 1058
Date 09.03.10

Office of D.G. (Telecom)
Dairy No. 076.....
Date 09.03.10.....

सेवा में

(6)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1
संख्या: सामान्य / वारह (विविध) - 2017. दिनांक: मार्च 8, 2018

E-mail
1

संग्रह विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

तिपाग -

पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं का शुल्क निर्धारण एवं इन सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलीवर पूर्ण उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के विभागीय पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान किये जाने तथा उक्त सेवाओं हेतु लिये जाने वाले विभागीय शुल्क एवं यूजर चार्जों का निर्धारण किये जाने के संबंध में।

ARO(A)

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश भरणा 38/2018/189/C पु-7-2018-194/2017 दिनांक: 27.2.2018 (भाग्यपति अंतर्भूत) द्वारा पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं का शुल्क निर्धारण एवं इन सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलीवरी एवं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के विभागीय पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान किये जाने तथा उक्त सेवाओं हेतु लिये जाने वाले विभागीय शुल्क एवं यूजर चार्जों का निर्धारण गिरन तालिका के अनुसार कठिपय शर्तों के साथ किये जाने की व्यवस्था की गई है:-

SRO(Ad)
9/3/18

DIG(P/T)HO

क्र. सं.	सेवा	पुलिस विभाग की विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं हेतु निर्धारित शुल्क	जन सुविधा केन्द्रों द्वारा शासकीय सेवाएँ उपलब्ध कराये जाने पर निर्धारित शुल्क
1	Lost and found	0	15/-
2	Filing of complaint for fir registration	0	15/-
3	Issuance of certificate for character, antecedents, no objection for vehicle etc.	50/-	65/-
4	Application for tenant verification	50/-	65/-
5	Application for servant verification	50/-	65/-
6	Application for police verification	50/-	65/-

प्रस महानिदेशक (दस्तावेज) उत्तर प्रदेश 03.03.18

आईटी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुगाम-२ के शासनादेश संख्या-11/78-2-2016-34आईटी०/2010 दिनांक 04.2.2016 में जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु लिये जा रहे यूजर चार्जों में से डिस्ट्रिक्ट रार्टिंस प्रोग्राम (डीएसपीपी) के अंश के पूनर्विभाजन एवं वितरण की व्यवस्था निर्धारित नहीं है। जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु जो शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है वह उक्त शासनादेश के अनुसार ही लिया जायेगा।

2- एंस आवेदक जो रीधे पुलिस विभाग के सीरीजीएनएस पोर्टल से विभागीय सेवाओं प्राप्त करें उन्हें राजकीय देयता के अंतिर्याम अन्य विभागीय यूजर चार्जों/प्रदाता अधिकार का सुगताना नहीं करना होगा।
3- उक्त शुल्कों के अधिरोपण हेतु शासन द्वारा संघर्ष-समय पर निर्णय शासनादेश एवं आईटी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के द्वारा निर्णय शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में निर्धारित शुल्क से अधिक भनश्वर जनरागाम से न वर्गीकृत जाय।

P.G.(P/T)OPS/MCR/TECH/
SRO(A) 5

प्रसादादेशों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन संवेदित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। किसी विचलन के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे किसी भी अनियन्त्रित अवश्य अपेक्षित करें वही उत्तरदायी होंगे।
पुलिस विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्राप्ति से संबंधित रार्टिंग जन सेवा केन्द्रों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहीय सम्पर्क विभागीय संस्थान अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

6- आवेदक द्वारा निकटतम जन सेवा केन्द्र के माध्यम से पुलिस विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु जन सेवा केन्द्र आपरेटर को अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त जोन ऑफिसर ई-डिलीवरी पोर्टल पर लॉगिन करेगा तथा विभागीय पोर्टल पर उनकी सेवाओं से संबंधित ई-फार्म एवं आवश्यक संस्करणों को अपलोड करने के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पर संबंधित विभागीय राज्य अधिकारी का प्रैषित करेगा। उपर्युक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त विभागीय संस्थान अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

प्रस महानिदेशक (पुलिस दूर संचार) मुख्यालय
उत्तर प्रदेश रेडियो मुख्यालय

महानगर, लखनऊ

09.03.10

उत्तर प्राप्तियों को प्राप्ति लेखाशीर्ष "0055-पुलिस-000-अन्य प्राप्तियों-08-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों" के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

अतएव, आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त शासनादेश में निहित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना।

निर्मित करें :

संग्रहालय-मध्योपरि-

26/3/2018
II uploaded on website
F. 213/18 MOTS

(श्रीमान जीपदण्डि)
अपर पुलिस गहानिदेशक मुख्यालय
उत्तर प्रदेश।

(2)

राख्या तथा दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रोत्तेत

1. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी रोटारे, उ०प्र० लखनऊ ।
2. गोपनीय सहायक अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, पुलिस महानिरीक्षक भ०/क०/मुख्यालय/पुलिस अधीक्षक, कार्मिक/मुख्यालय/भ०क०/अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय/कार्मिक एवं भवन कल्याण ।
3. अनुग्राम अधिकारी, अनुग्राम वर्जट/सात-62(पोर्टल)2017 दिनांक -5.3.2018 के सदर्ग में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. रामरत अनुग्राम अधिकारी, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय ।

"इंडिया प्रात्त"

(26)

११८८ - १०२७६४
२८-२-१८

संख्या-३८/२०१८/१८८/८-७-२०१८-१९४/२०१८

प्रेषक,

एस०पी० उपाध्याय
संयुक्त गवर्नर,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा मे,

उपर पुलिस महानिदेशक,
३०३० पुलिस मुख्यालय,
इताहाबाद

गृह (पुलिस) अनुभाग ७

पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं का शुल्क निर्धारण एवं इन सेवाओं वो जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलीवरी एवं ३०३० पुलिस विभाग के विभागीय पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान किये जाते तथा उक्त सेवाओं हेतु लिए जाने वाले विभागीय शुल्क एवं यूजर फार्ज़ का निर्धारण किये जाने के मुद्दे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ३०३० पुलिस मुख्यालय इताहाबाद के पत्र संख्या-सात-६२(पोर्टल)२०१७ दिनांक १८.०१.२०१८, के सम्बन्ध में सुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं का शुल्क निर्धारण एवं इन सेवाओं वो जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलीवरी एवं ३०३० पुलिस विभाग के विभागीय पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों वो प्रदान किये जाने तथा उक्त सेवाओं हेतु लिए जाने वाले विभागीय शुल्क एवं यूजर फार्ज़ का निर्धारण निम्न तालिका के अनुसार करिय प्रश्नों के साथ किये जाने की श्री राज्यपाल राहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

अं०	रोका	पुलिस विभाग की विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं हेतु निर्धारित शुल्क	जन सुविधा बैंक द्वारा शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने पर निर्धारित शुल्क
1	Lost and Found	0	15/-
2	Filing of complaint for FIR Registration	0	15/-
3	Issuance of Certificate for character, Antecedents, No objection for vehicle etc.	50/-	65/-
4	Application for tenant verification	50/-	65/-
5	Application for Servent verification	50/-	65/-
6	Application for Police verification	50/-	65/-

- आई०टी० एवं इनेक्टिविक्स अनुसार-२ के शासनादेश संख्या-११/८८-२-२०१६-३४आई०टी०/२०१० दिनांक ०४.०२.२०१६ में जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु सिये जा रहे यूजर फार्ज़ में से डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (टी०एस०पी०) से अं०१ के पुनर्विभाजन एवं वितरण की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। अन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु जो शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है वह उक्त शासनादेश के अनुसार ही लिया जाएगा।
- ऐसे आठदंक जो सीधे पुलिस विभाग के सीसीटीएनएस पोर्टल से विभागीय सेवाएं प्राप्त करेंगे उन्हें राजकोरीय देयता के अतिरिक्त अन्य किती यूजर फार्ज़/प्रदाता अपिगार का गुणतान नहीं करना होगा।

सिंह
पुलिस विभाग

-2-

3. उक्त शुल्कों के अधिरोपण हेतु शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं आईटी० एवं इलेक्ट्रॉनिका विभाग के द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि जनसामग्र्य से न बढ़ायी जाय।
4. शासनादेशों में उल्लिखित रूपों का अनुपालन पुलिस मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। किसी विभाग के लिए ३०५० पुलिस मुख्यालय उत्तरदायी होगे किसी भी अनियमितता गम्भा आडिट अधिकारी के लिए पुलिस मुख्यालय उत्तरदायी होंगे।
5. पुलिस विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रदेश में स्थापित सभी जन सेवा केन्द्रों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के भाग्यन से सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियाँ यथा-इंटरेशन, प्रशिक्षण सम्बन्धी भास्याएँ इत्यादि पूर्ण कर ली गयी हैं।
6. आदेश द्वारा निकतम जन सेवा केन्द्र के माध्यम से पुलिस विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु जन सेवा केन्द्र आपरेटर को अनुरोध कराना होगा। सटोपराल्ट केन्द्र अपरेटर ई-डिस्ट्रीब्यूट पोर्टल पर लोगिन करेगा तथा विभागीय पोर्टल पर उत्तरी सेवाओं से सम्बन्धित ई-फार्म एवं आवश्यक रोलबॉक्स को अपलोड करने के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पर सम्बन्धित विभागीय सकाम अधिकारी वर्षे प्रेषित करेगा। उपर्युक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त विभागीय सकाम अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन परों वर्षे निस्तारण विभागीय शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार विभागीय पोर्टल के माध्यम से पूर्ण किया जायेगा।
2. उपर्युक्त प्राप्तियाँ हेतु अलग से प्राप्ति शीर्ष खोते जाने की आवश्यकता नहीं है, अग्रिम इस प्रकार की प्राप्तियों को प्राप्ति लेखांकी “००५५-पुलिस-८००-अन्य प्राप्तिया-०८-अन्य प्राप्तियाँ” के अन्तर्गत जमा किया जाएगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-१२-३१४/दस-२०१८, दिनांक २७ फरवरी, २०१८ द्वारा पापा समर्पित रो जारी किये जा रहे हैं।

भवदीप
(एस०पी० उचाप्याय)
संयुक्त राज्यों

संख्या-१८९/६-पु-७-२०१८ तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. भारतीय राज्य, लेखा/आडिट, प्रधम, ३०५०, इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव, ३०५० शासन।
3. प्रमुख गवर्नर, आईटी० एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग, ३०५० शासन।
4. पुलिस नहानीदेशक, ३०५० लखनऊ।
5. राज्य समाजवाक्य सेन्टर फार ई-गवर्नेस, लखनऊ।
6. ८५०५५०५०००, एन०३५०५००० योजना भवन लखनऊ।
7. वरिष्ठ कोचिंगिकारी, सिविल लाइन, इंदिरा भवन, इलाहाबाद।
8. निदेशक वित्तीय एवं सांख्यकीय विदेशासय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनभाग-१२/प्रिंट (आय-दयथक) अनुग्रह-१/२
11. गाड़ी फाइल हेतु।

आगा मे
(एस०पी० उचाप्याय)
संयुक्त राज्यों